राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 02.08.2016 को सूडा सभागार में अपराह्न 04:30 बजे आयोजित "ग्यारहवीं" बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2016 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
3. श्री राहुल जी श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, हडको, लखनऊ।
4. श्री वी. धीरूयावालवन कार्यकारी निदेशक, हडको, लखनऊ।
5. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, उप महाप्रबन्धक हडको, लखनऊ।
6. डा0 अरूण कुमार राणा, सहायक महाप्रबन्धक, हडको, लखनऊ, प्रतिनिधि भारत सरकार।
7. अजन्ता देवी, वरिष्ठ शोध अधिकारी, नियोजन विभाग, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
8. श्री राम नरेश, अपर सांख्यिकी अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय।
9. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
10. श्री आर0एन0 पाल, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
11. मो0 तैयब, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
12. सिमी ओमेर, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
13. श्री हरीराम, अधिशासी अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
14. श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक सीएण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
15. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
16. श्री अशोक कुमार सविता, सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा– औरैया।
17. श्री के0एस0 परिहार, परियोजना अधिकारी, डूडा– वाराणसी।
18. शिवांगी सिंह, सिटी मिशन मैनेजर, डूडा–कानपुर नगर।
19. श्री आशीष सिंह, सिटी मिशन मैनेजर, डूडा–कानपुर नगर।
20. श्री ज्ञानेन्द्र नाथ शुक्ला, सिटी मिशन मैनेजर, डूडा–संत कबीर नगर।
21. श्री राकेश वर्मा, सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा– पीलीभीत।
22. श्री एल0के0 सिंह, सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा– बस्ती।
23. श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा, परियोजना अधिकारी, डूडा– प्रतापगढ़
24. श्री एस0पी0 वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0एण्ड डी0एस0, बस्ती।
25. श्री बी0एम0 वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0एण्ड डी0एस0, सोनभद्र।
26. श्री ए0के0 श्रीवास्तव, सीनियर रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस यूनिट–26, वाराणसी।
27. श्री मान सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट–2।
28. श्री भगवान दास, रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–2।
29. श्री राम सिंह, परियोजना प्रबंधक, यूनिट–23, इटावा।
30. श्री देवेन्द्र कुमार, निदेशक, एस0आर0सी0 इन्फ्राप्रोजेक्ट।
31. श्रीं अंकित कुमार, रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस यूनिट–23, इटावा।
32. श्री आर0एस0 यादव, सीनियर रेजीडेन्ट इंजीनियर।

बिन्दु संख्या–1 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की दसवीं बैठक दि0 14.03.16 की कार्यवाही की पुष्टि।

परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में मिशन निदेशक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) एवं निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (Scheme for shelter for urban homeless-SUH)" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया कि "शहरी बेघरों के लिए आश्रय" योजना के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0– 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में गहन समीक्षा की जा रही है। प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत इस योजना पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, ताकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का ससमय अनुपालन हो सके तथा शहरी बेघरों को आधारभूत सुविधाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके। समिति को गत बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति सम्बन्धी जानकारी दी गयी।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए गत बैठक दिनांक 14.03.2016 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

बिन्दु सं0–2 कानपुर नगर में स्थित आश्रय गृहों के उच्चीकरण/नवीनीकरण तथा संचालन और प्रबंधन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार–

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गये–

नगर निगम कानपुर में विद्यमान निम्नलिखित शेल्टर होम्स के उच्चीकरण/नवीनीकरण कर उनके संचालन और प्रबन्धन हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत किये गये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	निकाय का नाम	आश्रय का प्रकार	तल का विवरण	आश्रय की क्षमता	निर्माण क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	प्रस्तावित नवीनीकरण निर्माण लागत	संचालन प्रबन्धन हेतु धनराशि (5 वर्षों के लिए)	कुल प्रस्तावित लागत
1	सुतरखाना– कानपुर नगर	उच्चीकरण/ नवीनीकरण	GF	17	148.19	11.54	10.20	21.74
2	बादशाही नाका– कानपुर नगर	उच्चीकरण/ नवीनीकरण	GF	30	156.00	8.91	18.00	26.91
3	ढ़कनापुरवा– कानपुर नगर	उच्चीकरण/ नवीनीकरण	GF	28	352.52	13.36	16.80	30.16
4	फूलबाग– कानपुर नगर	उच्चीकरण/ नवीनीकरण	GF	34	357.83	13.91	20.40	34.31
5	पंकी मन्दिर– कानपुर नगर	उच्चीकरण/ नवीनीकरण	GF	80	342.15	21.42	48.00	69.42
6	उस्मानपुर– कानपुर नगर	उच्चीकरण/ नवीनीकरण	GF	20	215.66	7.79	12.00	19.79
7	सरसैया घाट– कानपुर नगर	उच्चीकरण/ नवीनीकरण	GF	52	128.25	15.92	31.2	47.12
8	बी0एन0 भल्ला हॉस्पिटल	उच्चीकरण/ नवीनीकरण	GF	30	298.06	9.71	20.40	30.11

समिति द्वारा उपरोक्त आश्रय गृहों के नवीनीकरण/उच्चीकरण से सम्बन्धित डी0पी0आर0 के विषय में पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन का अवलोकन किया गया और विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।

शहरी बेघरों के आश्रय के नवीनीकरण सम्बन्धी सन्दर्भित प्रस्ताव में आश्रय गृहों के आच्छादित क्षेत्रफल, अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों का विवरण, शेल्टर होम में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, शेल्टर की डिजाइन, लिंकेजेज विद् इन्टाइटिलमेंट आदि का संक्षिप्त उल्लेख है। डी0पी0आर0 में नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित शेल्टर होम नगर निगम द्वारा पूर्व निर्मित है। आश्रय गृह का संचालन और अनुरक्षण नगर निगम द्वारा किया जायेगा। आश्रय गृह के संचालन और अनुश्रवण के लिये आश्रय प्रबन्धन समिति का गठन का विवरण अंकित है। Soil Test Report और निर्माण की समय सारिणी, बार चार्ट संलग्न नहीं है।

उपरोक्त डी0पी0आर0 में इस्टीमेट के पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस0ओ0आर0), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित होने के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ समिति द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई–

(क). नवीनीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर निर्णय हेतु संस्तुति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त होने के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना, बार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा। इसी प्रकार पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपरोक्तानुसार उपभोग कर लेने और नवीकरण/निर्माण के सन्तोषजनक प्रगति की स्थिति में तीसरी किश्त अवमुक्त की जा सकेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण कर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में संचालन रणनीति एवं व्यवस्था तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था आश्रय गृह में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण तथा संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना समीचीन होगा।

(घ) शेल्टर होम की भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं 5 वर्षों के उपरान्त संचालन नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तत्काल नगर निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड़) प्रस्तावित आगणन में किसी प्रकार का परिवर्धन अथवा परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
(च) उच्चीकरण/नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित आश्रय गृहों की संरचानात्मक सुरक्षा (**Structural Safety**) देख ली जाय।
(छ) संचालन एवं प्रबंधन हेतु प्रस्तावित धनराशि में यदि वास्तविक व्यय कम आता है तो वास्तव में व्यय की गई धनराशि का ही उपयोग किया जाय।

बिन्दु सं0–3 सन्तकबीर नगर के खलीलाबबाद में शेल्टर होम के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–

समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 12.03.2015 के कार्यवृत्त संख्या 5609/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा संत कबीर नगर के खलीलाबाद हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 258.77 (**निर्माण लागत रू0 228.77 एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 30.00 लाख**) स्वीकृत की गई थी और प्रथम किश्त के रूप में रू0 91.51 लाख धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त किया गया था। स्थल पर भूमि विवाद होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। वैकल्पिक भूमि मोहल्ला– मड़या में शेल्टर होम के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया गया है। अतः पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 को निरस्त करते हुए वर्तमान लागू एस0ओ0आर0 के आधार पर गठित आगणन निम्न विवरणानुसार आश्रय गृह के नये निर्माण की स्वीकृति पर विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया–

धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	पूर्व स्वीकृति का विवरण							संशोधित प्रस्ताव					
	कार्यवृत्त सं0	क्षमता	तल का विवरण	निर्माण क्षे0 (वर्ग0मी0)	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत	क्षमता	तल का विवरण	निर्माण क्षे0 (वर्ग0 मी0)	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5609/241/NULM/तीन 2001 (SUH) दिनांक 31.03.2015 (बैठक तिथि) 12.03.15	100	G+1	1650.20	228.77	30.00	258.77	70	G+2	931.16	191.95	42.00	233.95

समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत डी0पी0आर0 के पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन का अवलोकन किया गया। आश्रय गृह के निर्माण स्थल के फोटोग्राफ से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि स्थल आश्रय गृह हेतु उपयुक्त है या नहीं। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना निदेशक, सूडा, परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 तथा परियोजना

किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

3. शहरी बेघरों के आश्रय के निर्माण सम्बन्धी सन्दर्भित प्रस्ताव में भवन का आच्छादित क्षेत्रफल, अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों का विवरण, शेल्टर होम में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, शेल्टर की डिजाइन आदि का संक्षिप्त उल्लेख है।

4. आश्रय गृह का संचालन और अनुरक्षण 5 वर्षों और उसके पश्चात किसके द्वारा किया जायेगा– उल्लेख नहीं है। नगर पालिका परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई कोई अन्डरटेकिंग संलग्न नहीं है। शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी के गठन आदि के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है।

5. नगर पालिका औरैया की बैठक दिनांक 09.11.15 को ग्राम औरैया के गाटा सं0– 350 में से 500 वर्गमी0 भूमि, आश्रय निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई है। डी0पी0आर0 में संलग्न खतौनी में यह भूमि (खसरा सं0– 350) श्रेणी 6–2 की भूमि है जो रास्ता दर्ज है। श्रेणी–6–2 में अकृषिक भूमि–स्थल, सड़क रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लाई जाती हो–आती है। उसी में से 500 वर्गमीटर भूमि आश्रय निर्माण हेतु दिये जाने का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद औरैया द्वारा दिनांक 09.11.15 को सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

समिति द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण देखा गया। विचार विमर्श के पश्चात यह पाया गया यद्यपि निर्माण स्थल के आस पास आबादी है, गली बनी है भूमि की उपयुक्तता व उसकी नवैयत का पुनः परीक्षण कर लिया जाए, यदि स्थल आश्रय गृह हेतु सर्वथा उपुयक्त पाया जाए तो स्वीकृति हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

क्रमांक–3 बस्ती – नगर पालिका परिषद बस्ती में शेल्टर होम निर्मित कर उसके संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण बस्ती द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

i) प्रस्तावित शेल्टर होम की क्षमता	– 75 व्यक्ति
ii) शेल्टर होम का प्रकार	– नया निर्माण (G+2)
iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area)	– 1105.86 वर्गमीटर
iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत	
निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	– 195.08 लाख
संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	– 45.00 लाख
योग	– **240.08 लाख**

2. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस. आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. शहरी बेघरों के आश्रय के निर्माण सम्बन्धी सन्दर्भित प्रस्ताव में भवन का आच्छादित

अधिकारी सन्त कबीर नगर स्थल का निरीक्षण कर उपयुक्त्ता के सम्बन्ध में टिप्पणी प्रस्तुत करें। यदि स्थल आश्रय गृह निर्माण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया जाय तो स्वीकृति हेतु आगामी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

बिन्दु सं0–4 प्रतापगढ़ में शेल्टर होम के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–

समिति द्वारा इस बिन्दु पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 23.01.2015 के कार्यवृत्त संख्या 4498/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 11.02.2015 के द्वारा प्रतापगढ़ हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 204.75 (**निर्माण लागत रू0 174.87 एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 29.88 लाख**) स्वीकृत की गई थी और प्रथम किश्त के रूप में रू0 69.948 लाख धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त किया गया था। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 26.04.16 द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि साल्ट पीटर युक्त होने व भूमि विवाद होने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ। अतः स्थानीय आवश्यकतानुसार पुनः संशोधित डी0पी0आर0 निम्नलिखित विवरणानुसार प्रेषित किया गया है।

भूमि साल्ट पीटर युक्त होने के साथ–साथ भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब होने के फलस्वरूप संशोधित आगणन का विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया गया है–

धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	पूर्व स्वीकृत का विवरण				संशोधित प्रस्ताव		
	कार्यवृत्त सं0	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4498/241/NULM/तीन 2001 (SUH) दिनांक 11.02.2015 (बैठक तिथि) 23.01.15	174.87	29.88	204.75	211.7	60.00	271.70

संशोधित डी0पी0आर0 में आश्रय स्थल के तलों, क्षमता और निर्माण क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्रदर्शित पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन का अवलोकन और विचार विमर्श किया गया।

उपरोक्त आधार पर राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 को निरस्त करते हुए उपरोक्तानुसार प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 की स्वीकृति पूर्व की स्वीकृति में अंकित शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गई।

बिन्दु सं0–5 वाराणसी–जोलहा में शेल्टर होम के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 23.01.2015 के कार्यवृत्त संख्या 4498/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 11.02.2015 के द्वारा

वाराणसी–जोलहा हेतु 50 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 183.18 (**निर्माण लागत रू0 153.96 एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 29.22 लाख**) स्वीकृत की गई थी और प्रथम किश्त के रूप में रू0 61.584 लाख धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त किया गया था। परियोजना अधिकारी डूडा वाराणसी के पत्र दिनांक 15 जुलाई 2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम वाराणसी के मोहल्ला जोल्हा में शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण की परियोजना लागत रू0 153.96 लाख स्वीकृत कर प्रथम किश्त की धनराशि रू0 61.584 लाख अवमुक्त की गई। कार्य स्थल पर भूमि सम्बन्धी विवाद होने पर नगर निगम वाराणसी के पत्र दिनांक 01.02.16 द्वारा मोहल्ला परमानन्दपुर में दूसरी भूमि उपलब्ध कराई गई है जिस पर कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा संशोधित डी0पी0आर0 कुल लागत रू0 184.25 लाख की उपलब्ध कराई गई जिसके जांचोपरान्त कुल धनराशि रू0 183.24 लाख होती है। संशोधित आगणन का विवरण निम्नवत है:–

धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	पूर्व स्वीकृत का विवरण							संशोधित प्रस्ताव					
	कार्यवृत्त सं0	क्षमता	तल का विवरण	निर्माण क्षे0 वर्गमी0	निर्माण लागत	O& M	कुल लागत	क्षमता	तल का विवरण	निर्माण क्षे0 वर्गमी0	निर्माण लागत	O&M	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4498/241/NULM/तीन 2001 (SUH) दिनांक 11.02.2015 (बैठक तिथि) 23.01.15	50	G+2	779.62	153.96	29.22	183.18	50	G+1	816.32	154.02	29.22	183.24

समिति द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन का अवलोकन किया गया और सम्यक विचारोपरान्त मोहल्ला परमानन्दपुर में उपलब्ध वैकल्पिक भूमि पर आश्रय गृह निर्माण की डी0पी0आर0, पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 को निरस्त करते हुए उसमे अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दु सं0–6 <u>"शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" के अन्तर्गत आश्रय गृहों के नये निर्माण तथा संचालन और प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार–</u>

क्रमांक–1– पीलीभीत – नगर पालिका परिषद– पीलीभीत में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

i) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या – 100 व्यक्ति

ii) शेल्टर होम का प्रकार – नया निर्माण (G+2)

iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area) – 1030.11 वर्गमीटर

iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	–	224.00 लाख
संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	–	60.00 लाख
योग	–	**284.00 लाख**

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा। शहरी बेघरों के आश्रय के निर्माण सम्बन्धी सन्दर्भित प्रस्ताव में भवन का आच्छादित क्षेत्रफल, अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों का विवरण, शेल्टर होम में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, शेल्टर की डिजाइन, लिंकेजेज विद इन्टाइटिलमेंट आदि का संक्षिप्त उल्लेख है। भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्न है। आश्रय गृह का संचालन और प्रबन्धन 5 वर्षों पश्चात नगर पालिका परिषद द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। शेल्टर होम के डी0पी0आर0 की Summary नहीं लगी है।

समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्रदर्शित पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण का अवलोकन तथा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि प्रतापगढ़ नगर में तीन तलों के 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले 1335.18 वर्गमी0 निर्माण क्षेत्र के आश्रय गृह की लागत रू0 211.70 लाख आई है जबकि वहां की भूमि पीटर साल्ट युक्त है। इसके सापेक्ष पीलीभीत में तीन तलों के 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले 1030.11 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्र के लिए रू0 224.00 लाख निर्माण लागत प्रस्तुत की गई है। निर्माण क्षेत्र कम होने के बावजूद निर्माण लागत अधिक आना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि परियोजना निदेशक (सूडा), परियोजना अधिकारी डूडा और परियोजना निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम इसे पुनः देखें और आख्या प्रस्तुत करें। समिति द्वारा प्रस्ताव स्थगित किया गया।

क्रमांक–2 औरैया – नगर पालिका परिषद औरैया में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण औरैया द्व ारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

i) प्रस्तावित शेल्टर होम हेतु शहरी बेघरों की संख्या	–	50 व्यक्ति
ii) शेल्टर होम का प्रकार	–	नया निर्माण (G+1)
iii) निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area)	–	678.88 वर्गमीटर

iv) शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत

निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	–	136.47 लाख
संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	–	30.00 लाख
योग	–	**166.47 लाख**

2. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित

क्षेत्रफल, अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों का विवरण, शेल्टर होम में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, शेल्टर की डिजाइन, आदि का संक्षिप्त उल्लेख है।

4. आश्रय गृह का संचालन और अनुरक्षण 5 वर्षों तक शासन द्वारा प्राप्त धनराशि से और उसके पश्चात नगर पालिका बस्ती द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। Soil Testing Report संलग्न है।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की दिनांक 02.02.2016 को सूडा सभागार में आयोजित "नवीं" बैठक में बस्ती के आश्रय गृह एवं मेरठ के आश्रय गृह के निर्माण लागत की तुलना की गयी, जिसमे कहा गया था कि दोनों (बस्ती एवं मेरठ) आश्रय गृहों का नया निर्माण प्रस्तावित है जिनमें दोनों के तलों की संख्या G+2 तथा आश्रय की क्षमता 50 व्यक्तियों की। बस्ती के प्रस्तावित आश्रय गृह की लागत रू0 233.50 लाख दी गई है जबकि मेरठ के आश्रय गृह की निर्माण लागत मात्र रू0 193.66 लाख आगणित है इस प्रकार बस्ती में प्रस्तावित आश्रय गृह के निर्माण की लागत मेरठ के आश्रय गृह के निर्माण की लागत से अपेक्षाकृत अधिक है। राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में बस्ती के प्रस्तावित आश्रय गृह के निर्माण का आगणन पुनरीक्षित किया जायें।

इस आदेश के अनुपालन में सन्दर्भगत डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। पूर्व में प्रस्तुत डी0पी0आर0 में शेल्टर होम 59 व्यक्तियों की क्षमता का था जिसकी बिल्ट अप एरिया 1158.57 वर्गमीटर थी। संशोधित डी0पी0आर0 में आश्रय गृह की क्षमता बढ़ाकर 75 कर दी गई है किन्तु बिल्टअप एरिया घटाकर 1105.86 वर्गमीटर प्रस्तावित है। कम बिल्ट अप एरिया में क्षमता किस आधार पर बढ़ाई गई, उसे किस आधार पर किया गया है– औचित्य (Justification) नहीं प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन का अवलोकन किया गया और पाया गया कि प्रस्तावित स्थल के बगल में ही IHSDP योजनान्तर्गत सामुदायिक केन्द्र निर्मित है। आस पास कोई बस्ती या आबादी भी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस स्थिति में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि स्थल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक सूडा, परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 तथा परियोजना अधिकारी डूडा बस्ती निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करें। प्रस्ताव स्थगित किया गया।

क्रमांक–4 **मिर्जापुर** – नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के विन्ध्यांचल में शेल्टर होम निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण मिर्जापुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

i)	प्रस्तावित शेल्टर होम की क्षमता	– 50 व्यक्ति
ii)	शेल्टर होम का प्रकार	– नया निर्माण (G+ 1)
iii)	निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (Built up Area)	– 815.74 वर्गमीटर
iv)	शेल्टर होम हेतु प्रस्तावित लागत	
	निर्माण कार्यों हेतु लागत रू0	– 180.49 लाख
	संचालन व्यवस्था (5 वर्षों हेतु) रू0	– 30.00 लाख
	योग	210.49 लाख

2. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस. आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।
3. शहरी बेघरों के आश्रय के निर्माण सम्बन्धी सन्दर्भित प्रस्ताव में भवन का आच्छादित क्षेत्रफल, अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों का विवरण, शेल्टर होम में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, शेल्टर की डिजाइन, लिंकेजेज विद इन्टाइटिलमेंट आदि का संक्षिप्त उल्लेख है।
4. डी0पी0आर0 में प्रस्तावित शेल्टर होम की भूमि का विवरण, उसका स्वामित्व, भूमि की अवस्थिति और क्षेत्रफल आदि का उल्लेख नहीं है और न ही इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख और फोटोग्राफ ही संलग्न है। बैठक में स्थल के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा प्रदत्त पत्र प्रस्तुत किया गया और स्थल का फोटोग्राफ दिखाया गया। आश्रय गृह का संचालन और अनुरक्षण 5 वर्षों और उसके पश्चात किसके द्वारा किया जायेगा– उल्लेख नहीं है। नगर पालिका परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई कोई अन्डरटेकिंग संलग्न नहीं है। शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी के गठन आदि के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है।
5. इस सम्बन्ध में प्रस्तुत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन समिति द्वारा देखा गया और विचार विमर्श किया गया। बताया गया है कि यहां लगभग 2.5 मी0 भूमि भराव होना है। जबकि पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण में दर्शित फोटोग्राफ में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि सन्दर्भगत भूमि नीची/गड्ढ़ा नहीं है। बगल में एक भवन बना है जिसकी फर्श इस भूमि की ही लेवल में प्रतीत होती है।

   अतः इस बिन्दु पर पुनः विचार किया जाय और क्रमांक(4) में उल्लिखित तथ्यों का अनुपालन किया जाय। प्रस्ताव स्थगित किया गया।

बिन्दु सं0–7

गोरखपुर वार्ड नं– 53 लच्छीपुर में शेल्टर होम के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 21.05.2015 के कार्यवृत्त संख्या 908/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 09.06.2015 के द्वारा नगर निगम गोरखपुर के वार्ड सं0– 53 लच्छीपुर में 70 व्यक्तियों की क्षमता के शेल्टर होम के नये निर्माण हेतु लागत रू0 178.80 लाख तथा संचालन प्रबन्धन हेतु रू0 40.00 लाख (कुल रू 0 218.80 लाख) दिनांक 21.05.2015 को स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 71.52 लाख अवमुक्त की गई थी। उक्त भूमि विवादित होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। नगर निगम गोरखपुर द्वारा वैकल्पिक भूमि मौजा बशारतपुर, गोरखपुर की आराजी सं0– 1994 रकबा 952 वर्गमी0 (28मी0 X 34 मी0) उपलब्ध कराई गई है। इस भूमि पर निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम की क्षमता, ड्राइंग–डिजाइन और लागत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है।

कार्यहित और लोकहित में शेल्टर होम का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने की दृष्टि से राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अध्यक्ष राज्य परियोजना स्वीकृति समिति सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 24.06.2016 की स्वीकृति प्रदान की गई है। **समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।**

<u>बिन्दु सं0–8</u>

जौनपुर में शेल्टर होम के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर टिप्पणी।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक– 14.03.2016 के कार्यवृत्त संख्या 262/241/NULM/तीन/2001 एस0यू0एच0 दिनांक 22.03.2016 के द्वारा जौनपुर हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु परियोजना लागत रू0 365.92 (**निर्माण लागत रू0 305.98 एवं 05 वर्षों हेतु संचालन व्यवस्था रू0 59.94 लाख**) स्वीकृत की गई थी और प्रथम किश्त के रूप में रू0 122.392 लाख धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त किया गया था। जौनपुर नगर में 100 व्यक्तियों हेतु शेल्टर होम के नये निर्माण हेतु रू0 305.98 लाख निर्माण लागत तथा रू0 59.94 लाख संचालन एवं प्रबंधन (कुल रू0 365.92) दिनांक 14.03.16 को स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत डी0पी0आर0 में निर्माण हेतु क्षेत्रफल 1396.36 वर्गमीटर है। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा संशोधित साइट प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षेत्रफल 1395.22 वर्गमीटर दर्शाया गया है। परियोजना अधिकारी डूडा जौनपुर द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किये जाने के अनुरोध किया गया है।

जनहित में कार्य शीघ्र सम्पन्न करने और संशोधित क्षेत्रफल में अन्तर अत्यल्प (मात्र 1.14 वर्ग मी0 कम) होने के दृष्टिगत राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अध्यक्ष राज्य परियोजना स्वीकृति समिति/सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 30.06.2016 को प्रदान की गई है। **समिति द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।**

आवश्यक निर्देश

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं की उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
2. कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी0पी0ओ0/ई0ओ0/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई– सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना होगा।
3. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किश्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।
4. निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में स्वीकृत तिथि से 01 माह के भीतर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।
5. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की विस्तृत समयसारणी एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा संचालन व्यवस्था हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान किया जाय तथा गाइड लाइन में उपलब्ध संसाधन से अधिक व्यय प्रस्तावित करने की दशा में स्पष्ट आधारों के साथ संचालन व्यवस्था हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था अपने अथवा प्रस्तावित अन्य संसाधनों के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख डी0पी0आर0 में किया जाये।
6. हडको प्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देश दिये गये कि संचालन व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि का विस्तृत ब्रेकअप गाइडलाइन के अनुसार तैयार कर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त तत्काल उपलब्ध कराया जाये।
7. निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं का गठन प्लिंथ एरिया रेट पर किया गया है, उन परियोजनाओं की विस्तृत आगणन SOR के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा। भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले डी0पी0आर0 में विस्तृत आगणन प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य होगा।
8. निर्देश दिये गये कि सभी निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0, जल निगम द्वारा वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
9. निर्देश दिये गये कि निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में प्रस्तावित किचेन के ऊपर शौचालय निर्मित न किया जाये, साथ ही प्रस्तावित किचेन में वेन्टीलेशन एवं समुचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
10. गाइडलाइन के अनुसार आश्रय गृह संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था की कार्यवाही आश्रय निर्माण के साथ–साथ करना अपरिहार्य है, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व आश्रय व्यवस्था प्रबन्धन समिति (Shelter Management Committee) का गठन, अपेक्षित

स्टाफ की व्यवस्था तथा उनके उत्तरदायित्व आदि सभी कार्यवाही पूर्ण कर समय से संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

11. निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ-साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत सभी परियोजनाओं का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।

13. प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

14. स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

15. परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

16. निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा। साथ ही समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

17. प्राप्त इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

18. डी0पी0आर0 में संलग्न Summary में दी गई अवधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण सुनिश्चित किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था C&DS की होगी।

12/8/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक- 589/251/NULM/तीन/2001(504)   दिनांक- 12/08/16

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।

9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
11. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा– कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रतापगढ़, सन्त कबीर नगर, पीलीभीत, बस्ती, औरैया, मिर्जापुर एवं जौनपुर।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर नगर, वाराणसी एवं गोरखपुर।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद– प्रतापगढ़, सन्त कबीर नगर, पीलीभीत, बस्ती, औरैया, मिर्जापुर एवं जौनपुर।
14. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई– कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रतापगढ़, सन्त कबीर नगर, पीलीभीत, बस्ती, औरैया, मिर्जापुर एवं जौनपुर।
15. परियोजना अधिकारी, डूडा कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रतापगढ़, सन्त कबीर नगर, पीलीभीत, बस्ती, औरैया, मिर्जापुर एवं जौनपुर।
16. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक